न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 141/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00324
दायर दिनांक :– 05.11.2020 निर्णय दिनांक :– 03.01.2025

1. पूनमचन्द पुत्र माणकलाल जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. चनणाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. हरलालराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. तकू देवी पत्नी हरलालराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. चम्पा पत्नी हरलालराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. शिवलाल पुत्र चनणाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
6. मगाराम पुत्र हरलालराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. मुकनाराम पुत्र चनणाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर ... जिला फलोदी (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी व उसके भाईयान किशनलाल, ओमप्रकाश, भवानीशंकर पि. माणकलाल की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 13–14 बीघा सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश कर रखा है और उक्त वाद के साथ प्रार्थी ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 494/17 है। दिनांक 25.05.2018 को अदालत हाजा ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर ग्राम बाप के खसरा नम्बर 580 रकबा 13–14 बीघा भूमि की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी किये गये थे जो आज दिन तक प्रभाव में है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त आदेश के प्रभाव में रहते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि की मौके को स्थिति को परिवर्तन कर मौके पर अप्रार्थीगण ने गढे वगैरा खोद दिये है तथा स्थगन होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण वर्तमान में मौके की स्थिति में परिवर्तन करने को उतारू है। अप्रार्थीगण खुले आम न्यायालय आदेश की अवहेलना कर रहे है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 497/2017 में दिनाक 25.05.2018 को प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी जारी की गई थी। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं हो रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना की जा रही है। अतः दस्तावेजात के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर एवं
बाप (फलोदी)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)